न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 27/2017 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :— 2017/00155

उनवान

शोभा आयु करीब 81 साल पुत्र श्री खुमानी जाति जाटव निवासी ग्राम पिदावली तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0।

.....अपीलांट।

बनाम

1. शकुन्तला पत्नी हरिविलास जाति जाटव निवासी ग्राम पिदावली तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. रमुजी पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी ग्राम पिदावली तहसील बाडी जिला धौलपुर।
3. रामदास पुत्र चिरौंजी जाति जाटव निवासी ग्राम बीलौनी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
4. घूरे पुत्र तोताराम जाति जाटव निवासी ग्राम नदीम तहसील खेरागढ जिला आगरा।
5. लखपति पुत्र श्री हीरा
6. रामपति पुत्र श्री हीरा
7. आशा पुत्र श्री हीरा
8. पप्पू पुत्र श्री हीरा जातिगण जाटव निवासीगण ग्राम पिदावली तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

9. श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा धौलपुर।
10. श्रीमान् प्रबन्धक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक खाखा बाडी।
11. श्रीमान् तहसीलदार साहब बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम, विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 22.05.2017 मि.नं. 75/2016 उनवानी शोभा बनाम शकुन्तला।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री धर्मेन्द्र सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री यतीन्द्र कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांक—14.06.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

धारा 53, 88 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी का अपीलाण्ट/वादी एवं रैस्पो0/प्रतिवादी के पूर्वजो के मध्य आपास में करीब 40 साल पूर्व बाहमी बॅटवारा हो गया था और बाहमी बॅटवारे में विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 1307, 1319, 1457 अपीलाण्ट/वादी के हिस्से में आये तथा शेष आराजी रैस्पो0/प्रतिवादीगण के हिस्से में आई तभी से अपीालण्ट/वादी और रैस्पो0/प्रतिवादीगण विवादित आराजी को अलग–अलग काश्त कर रहे हैं तथा मौके पर विवादित आराजी में अलग–अलग डौल–मैड पडी हुई हैं। परन्तु रैस्पो0/प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी का बॅटवारा ना होने का फायदा उठाकर अपीलाण्ट/वादी की उपजाऊ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा काश्त करना चाहते हैं तथा पूर्व में हुये बाहमी बॅटवारे को नही मान रहे हैं एवं आये दिन अपीलाण्ट/वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर बाहमी विभाजन के आधार पर विवादित आराजी का बंटवारा कराया जाकर पृथक–पृथक खाते एवं लगान कायम कराये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 11.02.2017 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रे प्रस्ताव तलब किये एवं अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री विधि विरूद्ध एंव प्राकृतिक न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत पारित की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलाण्ट को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी है। तहसीलदार द्वारा रैस्पो0 से साज कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं एवं ना ही कुर्रेजात पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन आदेश में कुर्रे प्रस्तावों पर अपीलाण्ट की सहमति होना गलत अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने 40 साल पूर्व हुए बाहमी बॅटवारे को नजर अन्दाज कर अपीलाण्ट की बैक पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कुरों के बाबत् कोई आपत्ति नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कुरों का गहनता से अवलोकन करते हुए विभाजन के नियमों को ध्यान में रखकर, पक्षकारो की सहमति से, अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का सही बॅटवारा किया है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारों की सहमति से डिक्री किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश में पक्षकारों की उपस्थिती एवं प्राप्त कुर्रेजात अनुसार अपीलाण्ट/वादी का दावा डिक्री किये जाने में पक्षकारों की सहमति व्यक्त किया जाना अंकित हैं। अपीलाण्ट/वादी का अब प्रस्तुत अपील में यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी सहमति दिया जाना गलत अंकित किया है, की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अपीलाधीन आदेश में पक्षकारों की उपस्थिति एवं सहमति अंकित है, इस तथ्य को तब तक गलत नही माना जा सकता, जब तक इन्हें किसी प्रमाणिक साक्ष्य से गलत सिद्ध नही कर देते। तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये कुर्रे प्रस्ताव पर पक्षकारो की सहमति के हस्ताक्षर अंकित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होना महत्वपूर्ण नहीं है, परन्तु तैयार प्रस्तावों पर पक्षकारो की आपत्तियों की सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। दौराने बहस रैस्पो0 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अन्तिम डिक्री पारित नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में दावा अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज होता। इस तर्क पर अभिभाषक अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति होना स्वीकार किया है। जब अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थें, तो उन्हें कुर्रे प्रस्तावों पर आपत्ति प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर था। किन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस बाबत् कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए ही पारित हुआ है। लिहाजा हम अपीलाधीन आदेश को किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। अतः अपील अपील खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official